कार्यालय रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।

पत्रांकः 294/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/2026 दिनांकः 06 जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 17 मई, 2024 के अनुपालन में गठित पीठ द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित पुनर्स्थापना पत्रावलियों की सुनवाई की जा रही है। अर्थदण्ड अधिरोपित पुनर्स्थापना पत्रावलियों में पीठ द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के उपरान्त पत्रावलियों का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगाः–

1. यदि पत्रावली को अर्थदण्ड माफ/समाप्त करते हुए निस्तारित किया जाता है, तो ऐसी पत्रावलियों पर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही/औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रश्नगत आदेश की प्रति अनुपालनार्थ शास्ति अनुभाग को एवं मूल पत्रावली अभिलेखागार अनुभाग को नियमानुसार कार्यवाही (विनष्टीकरण) हेतु प्रेषित की जायेगी।
2. यदि पत्रावली पर अर्थदण्ड यथावत् रखते हुए निस्तारित किया जाता है, तो ऐसी पत्रावलियों को रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही/औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रश्नगत आदेश की प्रति अनुपालनार्थ शास्ति अनुभाग एवं मूल पत्रावली सम्बन्धित सुनवाई कक्षों को हस्तान्तरित की जायेगी। जहॉ से वसूली आख्या/अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर पत्रावली विनष्टीकरण हेतु अभिलेखागार अनुभाग को प्रेषित कर दी जायेगी।
3. अभिलेखागार अनुभाग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित पुनर्स्थापना प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावलियों को विनष्टीकरण से पूर्व सम्बन्धित पत्रावलियों में पारित आदेश अर्थात् अर्थदण्ड अधिरोपित/अर्थदण्ड माफ/अर्थदण्ड यथावत् को मूल रूप में संरक्षित रखा जायेगा तथा पूर्व में निर्धारित समायावधि के अनुसार पत्रावली विनष्ट की जायेगी।

6/1/26

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
3. सम्बन्धित कार्मिक, रजिस्ट्रार कार्यालय, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4. प्रभारी शास्ति अनुभाग/अभिलेखागार अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
5. कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को तत्काल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

06/01/26

(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार